रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 528] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 1971/कार्तिक 4, 1893

No. 528] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1971/KARTIKA 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 26th October 1971

S.O. 4043.—The period of 2 months extended *vide* Government of India, Ministry of Industrial Development, Order published under S.O. No. 3157 in the Gazette of India (Extraordinary dated 24th August, 1971 (pages 2617-18), for submission of report by the Committee appointed to make full and complete investigation into the affairs of M/s. McKenzies Ltd., Bombay is hereby extended by a further period of one month.

[No. F. 20(1)/71-H.M.II.]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 26 अक्तूबर, 1971

का० आ० 4043.—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24-9-1971 (पृष्ट 2618) में का० आ० संख्या 3046 के अन्तर्गत प्रकाशित आदेश द्वारा मे० मैकेंजीज लि०, बम्बई के कार्यों की पूर्ण और विस्तृत जांच करने के लिय नियुक्त की गई समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये बढ़ाई गई 2 मास की अवधि को एतद्द्वारा एक और मास तक बढ़ाया जाता है।

[सं० फा० 20(1)/71-एच० एम० 11]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971